

हैं, पुनर्निरीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाये।

(M) Need for allocating more funds in the current Five-Year Plan and the Seventh Five-Year Plan for over all development of Uttar Pradesh.

श्री हरीश रावत (अस्मोड़ा) : इस योजनाबद्धि में पंचतीय भागों एवं पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली विशेष आर्थिक सहायता के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा उ० प्र० के पंचतीय क्षेत्रों की वार्षिक व पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 90 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान व 10 प्रतिशत प्रान्तीय अंशदान के रूप में स्वीकृत की गई है।

मगर उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को विशेष भौगोलिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह विशेष सहायता अपर्याप्त सिद्ध हुई है। वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में पिछली व इस योजनाबद्धि की सड़कों व पुलों, पेय जल, स्कूल भवन, चिकित्सालय तथा विद्युत उपलब्ध कराने हेतु लगभग 1500 करोड़ रुपये से ही न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

वर्तमान में ससाधनों के अभाव में राज्य सरकार न्यूनतम निर्धारित मानकों के आधार पर भी प्राथमिक जूनियर व हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरीज, स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं खोल पा रही है। 1972 की सूची के आधार पर भी गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सड़कों, पुलों तथा स्कूल चिकित्सालय भवनों नहर आदि का निर्माण नहीं हो रहा है। विद्युत प्रसार की बात तो एक तरफ, खड़े पानी वर साईन नहीं डाली जा सक रही है। स्थिति बिगम है। जनता में व्यापक

असंतोष व्याप्त है। इन सीमास्त क्षेत्रों में असंतोष का पैदा होना हित में नहीं है।

राज्य सरकार अकेले वर्तमान मानों के आधार पर इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। उन्हें विशेष वित्तीय सहायता चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस योजनाबद्धि के आने वाले वर्ष के लिए निर्धारित में लगभग 100 करोड़ रु० अतिरिक्त दिया जाये तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार लगभग 1500 करोड़ रु० का होना चाहिए तथा यह योजना पूर्णतः केन्द्र पोषित होनी चाहिए।

(iii) Investigation into the malpractices indulged in by blood banks operated by private agencies

SHRI K. LAKKPPA (Tumkur) : Blood required for transfusion to patients in cases of emergency is obtained by the doctors from the blood banks maintained by major hospitals or the Indian Red Cross Society. Some blood banks are operated by private agencies also.

Blood is donated on voluntary basis by donors to these blood banks and the agencies operating the blood banks have to observe certain rules laid down by the health authorities. The donors should be in good health, should not be minor. No one who has donated blood once should be allowed to donate blood again unless at least three months elapse.

There have been recent reports about the gross violations of these rules on the part of some private blood banks, particularly those functioning in Delhi; in collecting blood. They have been exploiting the poverty conditions of some persons; who were induced to donate blood many times in a month, sometimes more than once a day. The prescribed tests regarding the physical